न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 62/2019
GCMS NO. : 2019/00010

–: वादी:–

1. अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल जब्बार
जाति– सिलावट, मुसलमान,
निवासी– बलून्दा, जैतारण, जिला–
पाली, राज0।

बनाम

–: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 16/04/2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 25/02/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 1233/1 कुल रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आयी हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की साथ पेश है जो प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थी का सही नाम अब्दुल हनान पुत्र अब्दुल जब्बार है पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, अंकतालिका, आधार कार्ड में दर्ज है इनकी छायाप्रति कार्यवाही के साथ मे पेश है। प्रार्थी को वसीयतकर्ता सायरा पत्नी अब्दुल अदरीम के फौत होने पर जरिये वसीयतनामा दिनांक 09/08/2001 के प्रार्थी के नाम नामान्तरण भरते समय प्रार्थी का नाम अब्दुल हनान पुत्र अब्दुल जब्बार दर्ज नही कर अब्दुल हनान पुत्र अब्दुल अदरीम दर्ज कर दिया जो गलत है जो त्रुटी दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल अदरीम नही है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम अब्दुल जब्बार है, जो प्रार्थी के समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी दस्तावेजात मे दर्ज है। इसलिए न्यायहित मे दुरस्त किया जाना आवश्यक है, क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नामान्तरणकरण मे प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल [illegible] से कठिनाई होगी व सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पायेगा एवं [illegible] बीमा योजना का भी प्रार्थी लाभ नही ले पा रहा है [illegible] जायेगी ऐसी स्थिति मे यह कार्यवाही प्रार्थी के पिता का गलत नाम अब्दुल अदरीम को दुरस्त कर प्रार्थी के पिता का सही नाम अब्दुल जब्बार दर्ज करने के आदेश दिलावें। राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 12/04/2019 को प्रथम बार लेने पर प्रार्थी को जानकारी मे आया कि उसके पिता का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अब्दुल अदरीम गलत दर्ज कर दिया। धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट के तहत श्रीमान् को रेकर्ड दुरूस्ती का अधिकार है। प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार जी से दिनांक 12/04/2019 को निवेदन किया परन्तु वह इन्कार हो गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे इसलिए यह कार्यवाही श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थी की और से प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तोवजात पेश कर निवेदन है कि धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का गलत नाम अब्दुल अदरीम को दुरस्त कर प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम अब्दुल जब्बार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण की ओर रिपोर्ट पेश की गई जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू.अ./21/560 दिनांक 19.02.2021 में कथन किया कि बिन्दु संख्या 1. राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम बलून्दा सम्वत् 2073 से 2075 के खाता संख्या 18 में खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल अदरीम कौम सिलावट खातेदार दर्ज है। बिन्दु सं. 2. साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर सिद्ध करनें का भार वादी पर है। बिन्दू संख्या 03 हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण सही दायर किया गया है। अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल अदरीम के स्थान पर अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल जब्बार सही करना वादी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 4 कानूनी बिन्दू है। बिन्दू संख्या 5 अस्वीकार है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल अदरीम के स्थान पर अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल जब्बार पिता का नाम सही करना वादी साक्ष्य एवं आधार पर स्वयं सिद्ध करें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थी अब्दूल हनान द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को वसीयत कर्ता सायरा पत्नी अब्दूल अदरीम फौत होनें पर जरिये वसीयतनामा दिनांक 09.08.2001 को प्रार्थी के नाम नामान्तरण भरते समय प्रार्थी का नाम अब्दूल हनान पुत्र अब्दूल जब्बार दर्ज नहीं करके अब्दूल हनान पुत्र अब्दुल अदरीम दर्ज कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत पत्र दिनांक 09.08.2001 के अनुसार [illegible] बेवा स्वर्गीय अदरीम जी उर्फ अब्दूल रहमान जाति सिलावट मुसलमान निवासी बलून्दा तहसील जैतारण द्वारा अपनी अंतिम इच्छा पत्र और वसीयत पत्र के [illegible] ग्राम बलून्दा के खसर संख्या 1233 रकबा 09-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल का 1/2 भाग का स्वत्व वसीयत कर्ता सायरा की मृत्यु के बाद श्री हनान पुत्र श्री जब्बार जी सिलावट निवासी बलून्दा तहसील जैतारण के पक्ष में निहित हो जायेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती सायरा निवासी ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण मृत्यु दिनांक 20.01.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2003 में मृतका के पति का नाम श्री अदरीम सिलावट दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन डायरी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी कक्षा दस का प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका के अनुसार प्रार्थी अब्दुल हनान के पिता का नाम अब्दुल जब्बार हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अब्दुल अदरीम वसीयत कर्ता सायरा के पति का नाम है तथा वसीयत कर्ता सायरा के इंतकाल के पश्चात् वसीयत सुदा भूमि में वसीयत गृहीता प्रार्थी अब्दुल हनान के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करते समय अब्दुल हनान के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अब्दुल अदरीम दर्ज कर दिया गया जो कि वसीयतकर्ता सायरा के पति थे। अब्दुल हनान के पिता का सही एवं वास्तविक नाम अब्दुल जब्बार है जो वसीयत पत्र एवं अन्य दस्तावेजात् से साबित है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भलीभांति साबित होनें से स्वीकार करते हुये भू-अभिलेख में प्रार्थी के पिता का त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज नाम अब्दुल अदरीम को विलोपित करते हुये सही एवं वास्तविक नाम अब्दुल जब्बार दर्ज कर भू-अभिलेख को अद्यतन किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बलुन्दा तहसील-जैतारण, जिला- पाली के खसरा नम्बर 1233/1 कुल रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल में खातेदार अब्दुल हनान के पिता का भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण दर्ज नाम **"अब्दुल अदरीम"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर प्रार्थी/खातेदार के पिता का सही एवं वास्तविक नाम ***"अब्दुल जब्बार"*** दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 24/11/2020 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.31 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested